



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 349]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 18, 2010/ज्येष्ठ 28, 1932

No. 349]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 18, 2010/JYAISTHA 28, 1932

पोत परिवहन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2010

सा.का.नि. 522(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा कथित अधिनियम की धारा 123 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए काण्डला पत्तन न्यासी के मंडल द्वारा बनाए गए काण्डला पत्तन न्यास (सटिवडोस को अनुज्ञप्ति) विनियम, 2010 को संशोधन के साथ अनुमोदित करता है।

2. उक्त अधिसूचना शासकीय राजपत्र में यह अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगी।

अनुसूची

विनियम

न्यासी मंडल, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 123 की उप-धारा (च) से (ण) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—(1) ये विनियम कंडला पोर्ट ट्रस्ट (नौभरकों का अनुज्ञापन) विनियम, 2010 कहे जायेंगे। ये केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा.—इन विनियमों में सिवाय कि जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों :—

(i) "अधिनियम" से महापत्तन अधिनियम, 1963 अभिप्रेत है।

(ii) "बोर्ड" से इस अधिनियम के अधीन गठित कंडला पोर्ट का न्यासी मंडल अभिप्रेत है।

(iii) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है।

(iv) "प्रपत्र" से इन विनियमों में संलग्न प्रपत्र अभिप्रेत हैं।

(v) "नौभरक" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिन्हें विनियम 3 के अधीन नौभरण अनुज्ञप्ति दी गई है, इसमें ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है जो विनियम 11 के आधार पर नौभरक माना गया है तथा जो पोर्ट में जलयानों पर किसी भी प्रकार के नौभार की लदाई और उतराई तथा नौभरण हेतु प्राधिकृत अधिकर्ता है।

(vi) "यातायात प्रबंधक" से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जो कंडला पोर्ट ट्रस्ट के यातायात विभाग का तत्समय प्रभारी हो और जिसमें यातायात प्रबंधक के उपपदीय तथा सहायक और यातायात प्रबंधक के प्राधिकार के अधीन कार्यरत अन्य कोई भी अधिकारी सम्मिलित हो।

3. व्याप्ति.—इस नीति में निम्नलिखित क्रियाकलाप सम्मिलित होंगे :—

- पोर्ट द्वारा प्रारंभ किए गए नौभरण
- अनुज्ञप्तिधारी नौभरकों द्वारा नौभरण-कार्य
- अनुज्ञापन-करार में यथानिर्धारित बी ओ टी टर्मिनल परिचालकों द्वारा नौभरण-कार्य

नौभरण-कार्य में जलयानों पर कामगारों के क्रियाकलाप तथा निर्यात (सदाई)

नौभरण हेतु अनहुक कार्य तथा जलयानों पर कामगारों द्वारा आयात (उतराई)

नौभार को हुक करने के कार्यों का विस्तारण अथवा कंडला पोर्ट में जो भी पद्धति प्रचलित हो, इसमें समाविष्ट हैं।

4. नौभरक-अनुज्ञापन जारी करना :—

- (i) पोर्ट तथा बोर्ड के अथवा उनके अधिभोग के अधीन आने वाले भरणघाट, प्रस्तंभ घाट तथा गोदियों और जलयानों के बीच माल के अभारण तथा लदान कार्य और पोर्ट की सीमा के अन्दर जलयानों के नौभरण में लगने वाले अन्य कार्य करने हेतु पोर्ट में नौभरक के रूप में कार्य करने के लिए आवेदन करने पर अध्यक्ष उन व्यक्तियों को तीन वर्ष की अवधि के लिए नौभरक अनुज्ञापन जारी कर सकता है।
- (ii) इस विनियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए अनुज्ञापन के अलावा पोर्ट में किसी भी जलयान पर नौभरक को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (iii) नौभरण-अनुज्ञापन उन फर्मों को जारी किए जाएंगे जो निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करते हैं :—

- (क) कम्पनी अधिनियम के अधीन एक पंजीकृत कम्पनी अथवा साझेदारी फर्म अथवा कोई भी विधिक सत्ता होनी चाहिए।
- (ख) उसे रु. 5 लाख की जमानत-राशि जमा करानी होगी।
- (ग) नौभरक को अपने निजी अथवा भाड़े पर न्यूनतम उपकरण/गीयर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी होगी।
- (घ) नौभरक कम से कम ऐसे 4 पर्यवेक्षी कार्मिकों को नियोजित करेगा जिन्हें नौभार प्रहस्तन/भरण-कार्य का न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव हो। आवेदन-पत्र के साथ उनका विवरण संलग्न किया जाना अपेक्षित है।
- (च) अनुज्ञापन-अवधि, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाएगा, के लिए अनुज्ञापित जारी करने/नवीकरण संबंधी शुल्क रु. 50,000 होगा।

5. नौभरण कार्य करने की क्षमता संबंधी-साक्ष्य का प्रस्तुतीकरण.—नौभरक के रूप में कार्य करने हेतु कोई भी अनुज्ञापन तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि आवेदक :

(क) साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता कि वह, विभिन्न पण्यों को संभालने हेतु अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित निर्गत/आगत मानकों को बनाये रखेगा।

(ख) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन मजदूरी तथा प्रतिकर के संबंध में उसके द्वारा नियोजित कर्मकारों तथा कर्मचारियों से संबंधित बाध्यताओं को पूरा करने हेतु अपनी वित्तीय स्थिति संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता और रुपये 10 लाख की ऋण शोधन क्षमता प्रमाण-पत्र नहीं देता।

टिप्पणी : जलयान के मालिक, जलयान प्रचालक, स्टीमर अधिकर्ता तथा आयातकर्ता और निर्यातकर्ता भी अनुज्ञापन पाने के पात्र होंगे।

6. नौभरक के कार्य तथा उत्तरदायित्व.—प्रत्येक नौभरक, अध्यक्ष द्वारा उन्हें जारी किये गये नौभरण अनुज्ञापन के चालू रहने के दौरान निम्नलिखित कार्यों, बाध्यताओं और उत्तरदायित्व के अधीन रहेगा, अर्थात् :—

- (क) वह यह सुनिश्चित करेगा कि माल के अभारण तथा परिवहन अथवा यानान्तरण अथवा तत्संबंधी सहायक कार्य के परिचालन के दौरान उसके पास नियोजित कर्मचारी तथा कामगार ऐसे परिचालन से संबंधित तथा तत्समय प्रवृत्त भारतीय डॉक श्रमिक अधिनियम, 1934, भारतीय डॉक श्रमिक विनियम, 1948, डॉक कर्मकार (संरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण) योजना, 1961 तथा तत्संबंधी जारी अधिसूचनाओं, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, बोनस संदाय अधिनियम, 1965, मजदूरी संदाय अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम तथा तत्संबंधी जारी नियम, विनियम और योजनाओं का उचित अनुपालन किया जाता है।
- (ख) वह उसके निजी अथवा भाड़े पर लिए गये उपकरणों द्वारा परिचालन कार्य करेगा।
- (ग) वह उसके द्वारा प्रयोग में लाये गये किसी उपकरण के कारण होने वाली किसी दुर्घटना अथवा क्षति का एकमात्र जिम्मेदार होगा।
- (घ) वह उसके द्वारा किये जाने वाले परिचालन कार्य से संबंधित प्रतिगृहित समस्त संरक्षा का अनुपालन करेगा।
- (ङ) वह अपने परिचालन कार्य के कारण उत्पन्न होने वाले तीसरे पक्षकार के दावों के मद्दे बोर्ड को क्षतिपूर्ति करेगा।

- (च) जब कभी भी किसी नौभरक अथवा नौभरक के अधीन तत्समय/नियोजित किसी कर्मचारी(गण) अथवा कामगार(गण) द्वारा किये गये कार्य के कारण और/अथवा उस दौरान हुई किसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप पोर्ट ट्रस्ट द्वारा अपने किसी कर्मचारी अथवा कामगार अथवा उसके आश्रितों को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन प्रतिकर चुकाना पड़े तो उस स्थिति में नौभरक, इस प्रकार अदा की गई राशि को बोर्ड को प्रतिपूर्ति करेगा। इस प्रयोजनार्थ कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन यथानिर्धारित प्रतिकर की वह राशि बोर्ड तथा नौभरकों के मध्य आबद्धकर तथा निश्चायक मानी जायेगी।
- (छ) यदि ऐसे किसी परिचालन के दौरान बोर्ड के किसी उपस्कर, संयंत्र और अन्य संपत्ति को क्षति पहुँची है तो नौभरक ऐसी हानि अथवा क्षति के लिए, अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, पर्याप्त जाँच के पश्चात् ऐसे प्रतिकर के रूप में निर्धारित की गई सीमा तक बोर्ड को प्रतिकर चुकाएगा।
- (ज) वह उसके तथा कांडला पोर्ट ट्रस्ट के मध्य प्रतिकर के संदाय, उसकी मात्रा अथवा तत्संबंधी किसी प्रश्न से संबंधित किसी विवाद अथवा मतभेद को अध्यक्ष द्वारा नामित मध्यस्थ को निर्देशित करने हेतु सहमत होगा।
- (झ) उसका उत्तरदायित्व होगा कि उसके द्वारा जिन जलयानों पर नौभरण परिचालन कार्य किया जाना है, वह उन प्रत्येक जलयान के पर्यवेक्षण हेतु कम से कम एक अनुभवी व्यक्ति अवश्य नियोजित करे।
- (ञ) अध्यक्ष अथवा यातायात प्रबंधक द्वारा समय-समय पर मांगी गई कोई भी सूचना वह तुरन्त ही प्रस्तुत करेगा।
- (ट) वह यह सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड के सभी देय नियत तारीख तक चुका दिए जाएं जिसमें चूक होने पर उसके अनुज्ञापन का नवीनीकरण नहीं होगा और इन विनियमों के अधीन वे निरस्त किए जा सकते हैं।
- (ठ) वह संरक्षा की आवश्यकताओं से सामंजस्य रखते हुए अधिकतम उत्पादकता सुनिश्चित करने हेतु उसके द्वारा नियोजित कामगारों पर समुचित पर्यवेक्षण की व्यवस्था करेगा।
- (ड) वह विभिन्न प्रकार के नौभार के लिए विधिवत् परीक्षित तथा उचित पाए गए समस्त आवश्यक उपकरण, उपस्कर की व्यवस्था करेगा।
- (ढ) वह आवधिक निरीक्षण के लिए अथवा जब कभी भी निरीक्षक, गोदी सुरक्षा अथवा यातायात प्रबंधक द्वारा मांगा जाए वह आवश्यक तापानुशीलन तथा परीक्षण प्रमाण-पत्र सहित उपकरण, उपस्कर आदि प्रस्तुत करेगा।
- (ण) वह कामगारों के लिए नौभार के प्रकार-विशेष से संबंधित उपयुक्त आवश्यक संरक्षात्मक सुरक्षा के साधनों की व्यवस्था करेगा।
- (त) वह यह सुनिश्चित करेगा कि कामगार, विश्रांति काल के सिवाय पूरी पारी अवधि के दौरान कार्यस्थल पर उपलब्ध रहें तथा वे सामान्य उत्पादन प्रस्तुत करें और साथ ही जब कभी उत्पादन सामान्य से कम हो जाए तो वह निष्पादन में सुधार करने हेतु प्रभावी प्रयत्न भी करेगा।
- (थ) वह जलयान पर सहायक परिचालन कार्य यथा नौभार की भराई, सिलाई तथा मंजन, नौभार का ढेर लगाना, नौभार की भराई आदि के लिए पर्याप्त व्यवस्था करेगा।
- (द) वह उसके द्वारा काम पर लगाए गए कामगारों को केन्द्रीय सरकार तथा पोर्ट तथा गोदी कर्मकार संघ के मध्य हुए मजदूरी समझौते की शर्तों के अनुसार मजदूरी चुकाने का वचन देगा।
- (ध) वह किसी हित तथा लाभ में अथवा उसके अधीन अन्य किसी व्यक्ति को अपने अनुज्ञापन का समनुदेशन अथवा अन्तरण नहीं करेगा अथवा किसी भी प्रकार उनसे विलग नहीं होगा।
- (न) वह सुरक्षा, समुन्नत उत्पादकता तथा श्रमिक अनुशासन के हित में यातायात प्रबंधक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों का पालन करेगा।
- (प) दिहाड़ी कामगारों को काम पर लगाए जाने पर नौभरक यह सुनिश्चित करे कि ऐसे कामगार बीमा पॉलिसी के अधीन समाविष्ट हों।
- (फ) नौभरक पोर्ट को समय-समय पर यथा अनुज्ञेय प्रभार अग्रिम रूप में अदा करेगा।
- (ब) नौभरक प्रति जलयान पर्याप्त पर्यवेक्षण कर्मचारी काम पर लगाएगा।

7. अनुज्ञापन की स्वीकृति/पुनर्नवीकरण हेतु आवेदन-

- (1) यातायात प्रबंधक को नौभरण अनुज्ञापन की स्वीकृति/पुनर्नवीकरण हेतु आवेदन प्रपत्र "क" में दिए जायेंगे।
- (2) आवेदक को अनुज्ञापन जारी करने अथवा उसके पुनर्नवीकृत होने से पूर्व रु. 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र) अथवा बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य कोई राशि का अनुज्ञप्ति शुल्क चुकाना होगा।
- (3) इन विनियमों के अधीन स्वीकृत अथवा पुनर्नवीकृत किए गए प्रत्येक अनुज्ञापन प्रपत्र "ख" में भरे जाएं।

- (4) नौभरण अनुज्ञापन के पुनर्नवीकरण संबंधी आवेदन उस अनुज्ञापन की समाप्ति के कम से कम तीन माह पूर्व किया जाना चाहिए। यदि तीन माह की नियत अवधि के अन्दर पुनर्नवीकरण संबंधी आवेदन प्राप्त नहीं होते तो ऐसे आवेदन पत्र रु. 500 (रूपये पाँच सौ मात्र) का संदाय करने पर अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किये जाएंगे :

बशर्ते कि अनुज्ञापन की समाप्ति की वास्तविक तारीख से पूर्व यातायात प्रबंधक को विलंब शुल्क सहित पुनर्नवीकरण संबंधी आवेदन प्राप्त हो जाए।

- (5) मूल अनुज्ञापन के गुम अथवा विरूपित हो जाने की स्थिति में रु. 1000 (रुपये एक हजार मात्र) का संदाय करते हुए यातायात प्रबंधक को आवेदन करने पर अनुज्ञापन की अतिरिक्त प्रति प्राप्त की जा सकती है।
- (6) नाम संगठन आदि में परिवर्तन संसूचित करना—

- (i) अगर नौभरक एक प्रतिष्ठान कंपनी है तो वह निदेशक, महानिदेशक अथवा उसके भागीदारों, जैसी भी स्थिति हो, में किसी भी प्रकार के परिवर्तन होने पर उस परिवर्तन को सिद्ध करने हेतु दस्तावेज की एक प्रति सहित अध्यक्ष को तत्काल संसूचित करेगा।
- (ii) नौभरण अनुज्ञापिधारी किसी प्रतिष्ठान के नाम, अभिधान अथवा संगठन में हुआ किसी भी प्रकार का परिवर्तन अध्यक्ष को तत्काल संसूचित किया जाएगा। इस प्रकार परिवर्तन होने वाला प्रतिष्ठान अथवा कम्पनी नये अनुज्ञापन हेतु नया आवेदन प्रस्तुत करेगा बशर्ते कि अध्यक्ष उस प्रतिष्ठान अथवा कम्पनी को तब तक कार्य करने की अनुमति दे दे जब तक कि उस नये आवेदन पर निर्णय नहीं ले लिया जाता।

8. जाँच पड़ताल लंबित होने तक अनुज्ञापन को निलंबित करने से संबंधित अध्यक्ष की शक्ति:— नौभरकों द्वारा नौभरण अनुज्ञापन की शर्तों का किसी भी प्रकार का उल्लंघन किए जाने पर यातायात प्रबंधक उसकी सूचना अध्यक्ष को देगा और अध्यक्ष जाँच पड़ताल होने तक नौभरकों को जारी किए गए अनुज्ञापन को उस अवधि तक, जो मामले के अनुसार यथापेक्षित हो, के लिए निलंबित कर सकता है बशर्ते कि ऐसा करना उसे पोर्ट के हित में समीचीन तथा आवश्यक महसूस होता हो।

9. अनुज्ञापन का निरस्तीकरण, निलंबन-अध्यक्ष, अनुज्ञापन को किसी भी शर्त के उल्लंघन होने पर

अथवा नीचे बताए गए कारणों में से किसी एक के कारण जैसी भी उचित समझी जाए उतनी अवधि के लिए नौभरकों को जारी किए गए अनुज्ञापन निलंबित अथवा निरस्त कर सकता है, जब :—

- (i) नौभरक फर्म के सीईओ को नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए अदालत द्वारा दोष सिद्ध ठहराया गया हो और उस अपराध के लिए कम से कम छह माह के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया हो और दंडादेश समाप्ति की तारीख से पाँच वर्षों की अवधि बीती नहीं हो।
- (ii) पोर्ट द्वारा नियत किए पैरामीटरों से न्यूनतम गारंटीकृत उत्पादन से कम दर (Throughput) का प्रहस्तन किया हो।
- (iii) संरक्षा विनियमों तथा आज्ञापक गोदी सुरक्षा उपायों का उल्लंघन हो।
- (iv) नौभरण कामगारों पर पर्यवेक्षण का अभाव।
- (v) अनुचित तथा आरक्षित प्रहस्तन पद्धति अपनाना।
- (vi) तात्विक तथ्यों का दुर्व्यपदेशन अथवा अयथार्थ कथन।
- (vii) नौभरकों का न्यायनिर्णित दिवालिया होना अथवा समापनाधीन होना।
- (viii) पोर्ट के किसी कार्य में रुकावट खड़ी करना।
- (ix) किसी अन्य व्यक्ति अथवा पक्षकारों को नौभरण प्रचालन का अंतरण करे अथवा अनुज्ञापि उपभाड़े पर दे।
- (x) ऐसा कोई दुर्व्यवहार जो बोर्ड की राय में ऐसे निरस्तीकरण अथवा, निलंबन हेतु समुचित आधार प्रस्तुत करता हो।
- (xi) सुरक्षा से संबंधित नियमों तथा अनुदेशों यथा आईएसपीएस कोड अनुपालन आदि का उल्लंघन करे।
- (xii) गैरकानूनी/भ्रष्ट कार्यों में शामिल हों।

कोई भी नौभरण अनुज्ञापन तब तक निरस्त अथवा निलंबित नहीं किया जा सकता जब तक कि नौभरकों को उनके अनुज्ञापन किस आधार पर निरस्त अथवा निलंबित नहीं हो सकते, के कारण बताने हेतु पर्याप्त अवसर नहीं दे दिया जाता और उस निरस्तीकरण तथा निलंबन, यथास्थिति, के कारणों को अभिलिखित नहीं कर दिया जाता।

10. अपील.—(1) ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो अध्यक्ष द्वारा अनुज्ञापन देने अथवा देने से इन्कार करने अथवा अनुज्ञापन के पुनर्नवीकरण अथवा अनुज्ञापन के पुनर्नवीकरण से इन्कार करने अथवा इन विनियमों के अधीन अनुज्ञापन को निलंबित करने के आदेश से, व्यथित हो तो, वह जिस आदेश के विरुद्ध अपील की जानी है उस आदेश की संसूचना के तीस दिनों के अन्दर बोर्ड को लिखित रूप से अपील कर सकता है।

(2) बोर्ड, आवेदक को अपील करने की तारीख से तीन माह के अन्दर सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस अपील पर जैसा भी ठीक समझा जाए वैसा आदेश पारित करेगा।

(3) यदि आवेदक बोर्ड का यह समाधान कर दे कि उस अवधि के अन्दर आवेदन नहीं करने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण है तो विनियम (1) में कोई बात निहित होते हुए भी वह अपील तीस दिनों की अवधि के बाद भी प्रस्तुत की जा सकती है।

11. पोर्ट/अनुज्ञापितधारक अथवा बाहर से कामगारों को काम पर लगाना : यदि पोर्ट, नौभरकों द्वारा की गई मांग की तुलना में अपेक्षित कामगारों की आपूर्ति नहीं कर पाता तो पोर्ट उस प्रयोजनार्थ नौभरकों को उनकी अपनी व्यवस्था करने की अनुमति देगा।

12. उत्पादकता आदि के लिए डाटा, मानक.—पिछले तीन वर्षों के निष्पादन पैरामीटरों को पूरी तरह ध्यान में लेते हुए पोर्ट द्वारा समय-समय पर उत्पादकता हेतु डाटा, मानक, प्रोत्साहन की दर आदि निर्धारित किए जाएंगे।

13. आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण, उपयोग.—उत्पादकता, कुशलता तथा संरक्षा में सुधार करने हेतु नौभरण क्रियाकलाप के लिए काम पर लगाए गए कार्मिक नौभार प्रहस्तन के अत्याधुनिक तरीकों में प्रशिक्षित होना चाहिए। यह सुझाव दिया जाता है कि इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी में नौभरण प्रचालकों के लिए ऐसे विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

14. इन विनियमों में कोई बात निहित होते हुए भी कांडला पोर्ट ट्रस्ट (नौभरकों का अनुज्ञापन) विनियम, 1988 के अधीन जारी किए गए विद्यमान नौभरण अनुज्ञापन को पुनर्नवीकरण की तारीख तक इस विनियम के अधीन जारी किया माना जाएगा।

15. निरस्त.—कांडला पोर्ट ट्रस्ट के नौभरकों को यथाअनुज्ञेय कांडला पोर्ट ट्रस्ट (नौभरकों का अनुज्ञापन) विनियम, 1988, इन विनियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व एतद्द्वारा निरस्त किए जाते हैं।

[फा. सं. एल बी-13018/4/2005-एल-II]

राकेश श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

फार्म 'क'

सेवा में,

यातायात प्रबंधक,

कांडला पत्तन न्यास

स्टीवडोरिंग लाइसेंस प्रदान/नवीनीकरण करने के लिए आवेदन फार्म

1. आवेदक का नाम :
2. क्या आप व्यक्ति, फर्म अथवा कंपनी (पार्टनरशिप/कंपनी अनुच्छेद प्रस्तुति सहित) हैं :

2380 47/10-2

3. पूर्ण पता :

4. कितने वर्षों के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है :

5. स्टीमशिप कंपनी/चार्टर ऑफ शिप/आनर ऑफ कार्गो के नाम जिनके साथ अपने जलयानों/कार्गो से माल ढुलाई का ठेका है और प्रस्तावित है (ठेके की अवधि से संबंधित साक्ष्य संलग्न करें प्रत्येक पार्टी का अनुमानित टन भार इंगित करें) :

6. * इस क्षेत्र में पूर्व का अनुभव :

(नये आवेदक के मामले में पिछले 5 वर्षों में किए गए कार्गो और टनभार की ढुलाई और नवीनीकरण के लिए 2 वर्षों का विवरण;)

7. मजदूरी, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, इत्यादि के तहत क्षतिपूर्ति के दायित्व को पूरा करने के लिए वित्तीय क्षमता का साक्ष्य :

(वित्तीय क्षमता के संबंध में बैंकर्स का प्रमाण-पत्र सहित आयकर अनुमानित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।)

8. ठेके के जलयान/कार्गो से ढुलाई कराने के लिए क्या आवेदन पर्याप्त गियर प्राप्त करने का इच्छुक है :

(अनावश्यक प्रमाण-पत्र सहित गियर की सूची प्रस्तुत करें।)

9. दो वर्षों के कार्गो हैंडलिंग अनुभव सहित चार पर्यवेक्षी कर्मचारियों का विस्तृत विवरण :

10. क्या आवेदक ने पत्तन न्यास को देय सभी प्रकार का भुगतान कर दिया है?

11. क्या आवेदक ने निम्नलिखित जमा करवाया है :

(क) 50,000 रु. का अनुज्ञापित शुल्क (कृपया विवरण दें) ;

(ख) 5,00,000 रु. का प्रतिभूति जमा (कृपया विवरण दें)।

मैं सत्यनिष्ठा से वचन देता हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी और विश्वास में सच है।

मैं लाइसेंस प्रदान करने के लिए किए गए निवेदन पर विचार करने हेतु कोई अन्य जानकारी प्रस्तुत करने के लिए सहमत हूँ।

यदि लाइसेंस जारी/नवीनीकृत होता है तो मैं कांडला पत्तन न्यास (स्टीवडोरिंग का लाइसेंस) विनियमन, 2010 का पालन करते हुए कांडला पत्तन न्यास द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले निर्देश का पालन करने के लिए सहमत हूँ।

स्थान :

तिथि :

आवेदक के हस्ताक्षर

* कॉलम 5 और 6 नये आवेदक अथवा परिवीक्षाधीन आवेदक के मामले में लागू नहीं होंगे।

फार्म 'ख'

(कांडला पत्तन न्यास का प्रतीक चिह्न)

कांडला पत्तन पर स्टीवडोरिंग के प्रचालन हेतु लाइसेंस

1. लाइसेंसधारी का नाम
2. पता
3. लाइसेंस जारी होने की अवधि
- से तक
4. उल्लेखनीय अन्य विवरण
-
5.
6.
7.

मुहर

अध्यक्ष

कांडला पत्तन न्यास

शर्तें

1. यह लाइसेंस महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 और कांडला पत्तन न्यास स्टीवडोरिंग का लाइसेंस) विनियमन, 2010 के प्रावधानों के तहत जारी किया जाता है।
 2.
 3.
- (यहां उन शर्तों को इंगित करें जिसके तहत लाइसेंस दिया जाता है जैसे—मसौदा विनियम के विनियमन 5 में सूचीबद्ध कर्तव्य और दायित्व)

**MINISTRY OF SHIPPING
NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th June, 2010

G.S.R. 522(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 124 read with sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves with modification the Kandla Port Trust (Licensing of Stevedores) Regulation, 2010 made by the Board of Trustee of Kandla Port in exercise of the powers conferred on them by Section 123 of the said Act, as detailed in the schedule annexed to this Notification.

2. The said notification shall come into force from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

**SCHEDULE
REGULATIONS**

In exercise of the powers conferred by sub-sections (f) to (c) of Section 123 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) the Board of Trustees hereby makes the following Regulations, namely :—

(1) Short title and commencement.—These regulations may be called the Kandla Port Trust (Licensing of Stevedores) Regulation, 2010. They shall come into force on publication of approval thereto by the Central Government in the Official Gazette.

(2) Definitions.—In these regulations, unless the context otherwise requires:—

- (i) 'Act' means the Major Port Trusts Act, 1963.
- (ii) 'Board' means the Board of Trustees of the Port of Kandla as constituted under the Act.
- (iii) 'Chairman' means the Chairman of the Board.
- (iv) 'Form' means form annexed to these Regulations.
- (v) 'Stevedore' means a person to whom a stevedoring license has been given under regulation 3 and includes a person who is stevedore by virtue of Regulation 11 and who is an authorized agent for loading and unloading and stowage of cargo in any form on board the vessels in Ports.
- (vi) 'Traffic Manager' means the officer for the time being in charge of Traffic Department of the Kandla Port Trust and includes the deputies and assistants to the Traffic Manager and any other officer acting under the authority of the Traffic Manager.

(3) Scope.—The policy shall cover the following activities :—

- (i) Stevedoring undertaken by the Port
- (ii) Stevedoring by the licensed stevedore.
- (iii) Stevedoring by the BOT terminal operator as prescribed in the license agreement.

The Stevedoring may cover the activities on board involving workmen and extending to unhooking for export (loading) cargo and hooking of import (unloading) cargo involving workmen on-board or whatever practice prevalent in Kandla Ports.

(4) Issue of stevedoring licenses.—

- (i) The Chairman may issue stevedoring licenses for the period for three years, on application of persons to act as stevedores as the Port to perform the work of loading and shipping of goods between vessels in the Port and the wharves, piers, quays or Docks belonging to or in the possession of the Board and any other works involved in the stevedoring of vessels within the Port.
- (ii) No stevedore shall be allowed to work on Board any vessel in the Port except under a license issued by the Chairman under these regulations.

(iii) The stevedoring licenses shall be issued to the firms fulfilling the following criteria :

- (a) It shall be a Company registered under Companies Act or a partnership firm or any other legal entity.
- (b) It shall deposit security of Rs. 5 lakhs.
- (c) Stevedores shall undertake to provide minimum equipment/gear either owned or hired.
- (d) The Stevedores should undertake to employ at least 4 Supervisory personnel with minimum two years of cargo handling/stowage experience. Their profile has to be enclosed along with the application.
- (e) The fee for issue/renewal of license shall be Rs. 50,000 for the period of the license which may be revised from time to time.

(5) Production of evidence of capacity to do stevedoring work.—No. Licence to work as a stevedore shall be granted unless the applicant :

- (a) Produces evidence that he would maintain the input/output norms or handling different commodities as may be laid down by the Chairman from time to time.
- (b) Produces evidence of his financial standing to meet the obligations to the workers and staff employed on account of wages and compensation under the Workmen's Compensation Act, 1923, Payment of Wages Act, 1936, Industrial Disputes Act, 1947, or any other Law for the time being in force, and give a solvency certificate for Rs. 10 lakh.

Note :—The vessel owners, vessel operators, steamer agents and importers and exporters would also be eligible for grant of a licence.

(6) Duties and responsibilities of stevedore.—Every stevedore, shall have the following duties. Obligations and responsibilities during the currency of stevedoring licence issued to him by the Chairman, namely :

- (a) He shall ensure due compliance by all the staff and the workers employed by him during the operation of landing and shipping of transshipping, goods or work incidental thereto, of the provisions of the Indian Dock Labourers Act, 1934 the Indian Dock Labourers Regulation, 1948. The Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Scheme, 1961 and notification issued thereunder; the Industrial Disputes Act, 1947, the payment at Bonus Act, 1965, the Payment of Wages Act, Minimum Wages Act and rules regulations and scheme issued thereunder

relating to such operations and for the time being in force.

- (b) He shall carry out the operations with gear owned or hired by him.
- (c) He shall be solely responsible for any accident or damage resulting from the use of any gear used by him.
- (d) He shall comply with all accepted safe practices in relation to operation performed by him.
- (e) He shall indemnify the Board against all third party claims arising out of operations performed by him.
- (f) Whenever the Board has to pay compensation to any of its employees or workmen or his dependents under the provisions of the Workmen's Compensation Act, or any other law for the time being in force, in consequence of any accident arising out of and/or during the course of work performed by a Stevedore or any employee/s or worker/s for the time being or employed under the stevedore the stevedore shall reimburse the Board any sum so paid. For such purpose, the amount of the compensation as determined under the Workmen's Compensation Act or any other law for the time being in force, shall be taken as binding and conclusive as between the Board and the Stevedores.
- (g) If any gear, plant or other property of the Board is damaged in the course of any such operation, the Stevedore shall compensate the Board for such loss or damage, the extent of such compensation being decided by the Chairman or the officer authorized by him after carrying out a proper enquiry.
- (h) He shall agree to refer any dispute or difference between him and the Kandla Port Trust as to the payment of compensation, its quantum or any connected questions to an Arbitrator nominated by the Chairman.
- (i) He shall be responsible to employ at least one experienced person to supervise every vessel in respect to which he has undertaken the stevedoring operations.
- (j) He shall submit promptly any information asked for by the Chairman or the Traffic Manager from time to time.
- (k) He shall ensure that all the dues of Board are paid in advance. Failing which his Licence shall not be renewed and be liable to be cancelled under these regulations.

- (l) He shall provide for adequate supervision over the workers employed by him in order to ensure that maximum productivity is ensured consistent with requirements of safety.
- (m) He shall provide all the necessary gear, equipment, duly tested and found suitable for the various types of cargoes.
- (n) He shall produce the gear equipment with necessary annealing and test certificates, for inspection periodically or whenever demanded by the Inspector, Dock Safety or the Traffic Manager.
- (o) He shall provide the workers necessary protective safety appliances appropriate for the type of cargo.
- (p) He shall ensure that the workers are available at the worksite throughout the shift period except during the recess hours and render the normal output and shall take effective steps to improve the performance whenever output falls below normal.
- (q) He shall make adequate arrangements for ancillary operations such as filling, stitching and breaking of cargo, stacking of cargo, stowage of cargo etc. on board vessels.
- (r) He shall undertake to pay to workers engaged by him wages in accordance with the terms of wage settlement arrived at between the Central Government and the Federation of Port and Dock Workers from time to time.
- (s) He shall not assign, transfer or in any manner part with any interest or benefit in or under the licence to any other person.
- (t) He shall comply with such instructions as may be issued from time to time by the Traffic Manager in the interest of safety, improved productivity and labour discipline.
- (u) Whenever casual workers, are deployed, the stevedore should ensure that such worker are covered by the insurance policy.
- (v) Stevedore shall pay charges to Port in advance as applicable from time to time.
- (w) The stevedore may deploy adequate supervisory personnel per vessel.
- (7) Applications for grant/renewal of licence.—**
- (1) The application for grant of renewal of stevedoring license shall be made in Form 'A' to the Traffic Manager.
- (2) The Applicant shall pay as licence fee of Rs. 50,000 (Rupees Fifty Thousand only) or any other amount determined by the board before the licence is issued or renewed.
- (3) Every licence granted or renewed under these regulations shall be in Form 'B'.
- (4) The application for renewal of stevedore licence shall be made at least three months before the expiry of the licence. If the application for renewal is not received within the stipulated period of three months, such applications may be accepted on payment of Rs. 500 (Rupees Five Hundred only) by the Chairman :
- Provided that the application for renewal together with late fee is received by the Traffic Manager before the actual date of expiry of the licence.
- (5) In the event of loss or defacing of the original licence, a duplicate licence may be obtained on an application to the Traffic Manager on payment of Rs. 1,000. (Rupees One Thousand Only).
- (6) Change in name, constitution etc. to be communicated :
- (i) Where the stevedore is a firm or company, it shall immediately communicate to the Chairman any change in the Director, Managing Director or partners, as the case may be, with a copy of the documents in support of such change.
- (ii) Any, change in the name, title or constitution of a firm or a company holding a stevedoring licence shall be communicated to the Chairman forthwith. The firm or company undergoing such a change shall submit a fresh application for the grant of new licence provided that the Chairman may allow such a firm or company to carry on business till a decision is taken on such fresh application.
- (8) Power of Chairman to suspend a licence pending enquiry.—**The Traffic Manager shall report any violation of the terms and conditions of the stevedoring licence by the stevedore to the Chairman and the Chairman may, pending enquiry, suspend for a period as may be required depending upon the case, the licence issued to a stevedore, if he finds it expedient and necessary to do so in the interest of the Port.
- (9) Cancellation, suspension of licence.—**The Chairman may at any time suspend for such a period as it may deem fit, or cancel the licence issued to a stevedore or violation of any of the terms of the licence or for any of the reasons listed below when :—
- (i) The CEO of the stevedoring firm has been convicted by the Court of any offence

involving moral turpitude and sentenced in respect thereof to imprisonment for not less than six months, and a period of five years has not elapsed from the date of expiry of the sentence.

- (ii) The firm handles less than the minimum guaranteed throughput/the prescribed parameters as fixed by the Port.
- (iii) Violates safety regulations and mandatory Dock Safety measures.
- (iv) Lack of supervision over stevedoring workers.
- (v) Adopts improper and unsafe handling methods.
- (vi) Misrepresents or misstates of material facts.
- (vi) The stevedore being adjudged insolvent or going into liquidation.
- (viii) Causing obstruction to any work in the Port.
- (ix) Transfers the stevedoring operations or sublets the license to any other individual or parties.
- (x) Any misconduct which in the opinion of the Board warrant such cancellation or suspension.
- (xi) Violates security related rules and instructions like ISPS code compliance etc.
- (xii) Indulges in illegal/corrupt practices.

No stevedoring license shall be cancelled or suspended until the stevedore has been given a reasonable opportunity for showing cause why his license should not be cancelled or suspended and after recording reasons for such cancellation or suspension as the case may be.

(10) Appeal.—(1) Any person aggrieved by the order of the Chairman granting or refusing to grant a licence or renewing or refusing to renew a licence or suspending a licence under these regulations may prefer an appeal in writing to the Board within thirty days of the communication of the order appealed against.

(2) The Board shall pass such order on the appeal as it deem fit after giving an opportunity of being had to the applicant within a period of 3 months from the date of appeal.

(3) Notwithstanding anything contained in the Regulations (1) the appeal may be admitted after the period of thirty days if the applicant satisfies the Board that he had sufficient cause for not making an application within such period.

(11) Deployment of workers form Port/Licence holder or Outside.—In case the Port is unable to supply the requisite workers against the requisition placed by

stevedores, the port may allow the stevedores to make their own arrangement for this purpose.

(12) Datum, Norms for Productivity, etc.—Datum, Norms for productivity, rate of incentive etc. may be determined by the ports from time to time duly taking cognizance of the performance parameters during last three years.

(13) Training, use of Modern Technology.—The personnel deployed in stevedoring activities shall be trained in modern methods of cargo handling for improving the productivity, efficiency and safety. It is suggested that such specialized training courses for stevedoring operatives shall be introduced in the Indian Maritime University.

(14) Notwithstanding anything contained in these Regulations, the existing stevedoring licenses issued under Kandla Port Trust (Licencing of Stevedores) Regulation, 1988 shall be deemed to have been issued under this regulations till the date of renewal.

(15) Repeal.—The Kandla Port Trust (Licensing of Stevedores) Regulation, 1988, as applicable to the stevedores of Kandla Port Trust immediately before commencement of these regulations, are hereby repealed.

[F.No.LB-13018/4/2005-L-II]

RAKESH SRIVASTAVA, Jt. Secy.

FORM 'A'

To

The Traffic Manager,
Kandla Port Trust.

Application Form for the Grant/Renewal of Stevedoring Licence

1. Name of the applicant:
2. Whether individual, firm or Company (Article of Partnership/Company to be produced) :
3. Full Address:
4. Year/s for which license is required:
5. *Name/s of the Steamship Company/Charterer of Ships/Owner of cargo with whom the contract for stevedoring their vessel/cargo subsist or is proposal to be entered (Proof of contract for the period covered is to be appended. The approximate tonnage for each party is to be indicated) :
6. *Previous experience in the field:

(The cargo and tonnage stevedored in the previous 5 years in case of new applicant and 2 years for renewal to be furnished.)

2380 97/10-3

7. Proof of financial ability to meet the obligations on account of wages, compensation under Workmen's Compensation Act, etc. :

(A certificate from the Bankers as to the financial ability and Income Tax Clearance Certificate to be produced.)

8. Whether the application has/is willing is acquire adequate gear for stevedoring the contracted vessel/cargo :

(List of gear with necessary certificate to be furnished.)

9. The detail profiles of four supervisory personnel with two years of cargo handling experience :

10. Whether the applicant has cleared all dues if any, payable to the Port Trust?

11. Whether the applicant has made the following deposits:

(a) Licence fee of Rs. 50,000 (PI furnish details).

(b) Security Deposit of Rs. 5,00,000 (PI furnish details).

I affirm that the particulars given are true to the best of my knowledge and belief.

I agree to furnish any other information/produce any record for inspection as may be required to consider the request for grant of license.

I agree to abide by the Kandla Port Trust (Licensing of Stevedores) Regulations, 2010 and to comply with the directions made by the Kandla Port Trust, from time to time, if the license is issued/renewed.

Place:

Date:

Signature of the applicant

*Columns 5 and 6 will not be applicable in case of a fresh applicant or any applicant under probation.

FORM "B"

(Emblem of Kandla Port Trust)

LICENCE FOR UNDERTAKING STEVEDORING OPERATION AT KANDLA PORT

1. Name of the Licensee.....

2. Address.....

3. Period for which the license is granted

From..... to.....

4. Any other particulars required to mentioned

.....

5.

6.

7.

SEAL

Chairman

Kandla Port Trust

Conditions :

1. This license is granted subject to the provisions of the Major Port Trusts Act, 1963 and the Kandla Port Trust (Licensing of Stevedores) Regulations, 2010.

2.

3.

(Here point the conditions subject to which the license is given, e.g. the duties and responsibilities enlisted in Regulation 5 of the Draft Regulations).